

89

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A  
Crim-I

अज अदालत \_\_\_\_\_ मुकाम \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 किस मुकदमा \_\_\_\_\_ नं. \_\_\_\_\_ सन् \_\_\_\_\_

| तारीख हुकम | 2003   5462<br>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br><u>एकल पीठ</u>  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 16-10-25   | <p>श्री मुकदमालाल नेहरा, सदस्य<br/>         प्रतावली प्रेश हुई / प्राथी के विद्वान अधिवक्ता<br/>         की एडमिशन पर बहस सुनी गई तथा<br/>         प्रतावली का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के<br/>         अधिलेख का अवलोकन किया गया। दोनों<br/>         अधीनस्थ न्यायालयों के सम्बन्धी विषय हैं<br/>         तथा अधीनस्थ न्यायालयों के सिद्धि में<br/>         सेताधिकार सम्बन्धी अध्या विधि सम्बन्धी<br/>         कोई लुटी प्रकार नहीं होती है। अतः निवृत्तानी<br/>         एडमिशन स्तर पर ही स्वारिज योग्य है।<br/>         अतः निवृत्तानी ग्राहता के स्तर पर ही स्वारिज<br/>         की जाती है। प्रतावली प्रेशला कुमार लोकर<br/>         दाखिल दस्त है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य<br/>         राजस्व मण्डल राजस्थान<br/>         अजमेर</p> |  |